न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट नजीबाबाद , बिजनौर।

एफ0आर0वाद सं0–189/2022

वादी दीपक दुआ बनाम अज्ञात।

मु0अ0सं0–105/2022

धाराः 379 भा0दं0सं0

थाना–नजीबाबाद, जनपद–बिजनौर।

05–01–2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा करायी गई। बार–बार पुकार कराये जाने पर भी कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा अंतिम आख्या न्यायालय प्रेषित किए जाने के पश्चात परिवादी पर न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था। परिवादी पर नोटिस ब–9 की तामील बजात खास है। उसके बाबजूद भी परिवादी की ओर से कोई विरोध याचिका प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अंतिम आख्या को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफ0आर0 का निस्तारण दौरान वाद संकलित साक्ष्य एवं प्रार्थी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत विरोध याचिका ,यदि कोई हो, के आधार पर किया जाना होता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला न पाते हुए अंतिम आख्या प्रेषित की है। केस डायरी पर किसी अभियुक्त को तलब करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवादी को नोटिस निर्गत किया गया था जो परिवादी पर बजात खास तामील है। परिवादी द्वारा भी कोई विरोध याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत अन्तिम आख्या में वादी मुकदमा द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाही गयी है, विवेचनाधिकारी द्वारा लगायी गयी अन्तिम आख्या से संतुष्ट है, अतः अन्तिम आख्या को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 105/2022 में प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं0 33/2022 दिनांकित 30–04–2022 थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट नजीबाबाद,
जनपद–बिजनौर।
यू.पी. 0321